न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या– 16 / 2023–24

केश का प्रकार – सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र0स0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
28.7.23		

आवेदक सुकरा लोहरा, पिता– स्व0 बहुरा लोहार जाति–लोहार, ग्राम– तिर्रा, थाना– बसिया जिला – गुमला स्थित मौजा–तिर्रा, थाना सं0– 52, खाता सं0– 79, प्लॉट सं0– 297, रकबा– 0.14 एकड़ भूमि को क्रेता सनमैत केरकेट्टा, पिता–स्व0 बुधवा पाहन, जाति– खड़िया, ग्राम–बोंगालोया, पोस्ट–ममरला, थाना– बसिया, जिला–गुमला के साथ बिक्री / वसीयत / बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारंभ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन का किस्म
तिर्रा	52	79	297	0.14	बेहरा टांड

कुल 0.14 एकड़

उत्तर में – उत्तर सड़क   दक्षिण में –बिक्रेता नीज

पूरब में – अनिल साहु   पश्चिम में – बिक्रेता नीज

जमीन विक्रेता का विवरणी

सुकरा लोहरा, पिता– स्व0 बहुरा लोहार जाति–लोहार, ग्राम– तिर्रा, थाना– बसिया जिला – गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता का विवरणी

सनमैत केरकेट्टा, पिता–स्व0 बुधवा पाहन, जाति– खड़िया, ग्राम–बोंगालोया, पोस्ट–ममरला, थाना– बसिया, जिला–गुमला (झारखण्ड)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित सनमैत केरकेट्टा, पिता–स्व0 बुधवा पाहन, जाति– खड़िया, ग्राम–बोंगालोया, पोस्ट–ममरला, थाना– बसिया, जिला–गुमला (झारखण्ड) से 15,40,000.00 (पन्द्रह लाख चालिस हजार) रू0 पर बिक्री करने का तय हुआ।

आवेदक को रूपये की सख्त जरूरत वास्ते मकान बनाने वो दिवार काम के लिए रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचल अधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बसिया के कार्यालय पत्रांक 377 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु काफी भूमि शेष बचता है। भूमि खतियानी वो अपने हक वो हिस्सा की जमीन है तथा वर्त्तमान में पंजी ii जमाबन्दी छटन लोहार, मटन लोहार, ठुईया लोहार, बन्धु लोहार पिता– बरजु लोहार उर्फ बरगी लोहार एवं बहुरा लोहार पिता– बुधना लोहार जाति–लोहार दर्ज है। जिस पर शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है। वो सरकार को साल वो साल मालगुजारी अदा करते आ रहे है। आवेदक तथा विपक्षी आदिवासी समुदाय के अर्न्तगत खड़िया व लोहरा जाति के सदस्य है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

उक्त भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है न ही मुहदबंदी सिलिंग, वन सीमा, मठ, मन्दिर, गिरजा आदि के अन्तर्गत नहीं आता है। वो पूर्व में बिक्री नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक सनमैत केरकेट्टा, पिता–स्व0 बुधवा पाहन, जाति–खड़िया, ग्राम–बोंगालोया, पोस्ट–ममरला, थाना– बसिया, जिला–गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि 15,40,000.00 (पन्द्रह लाख चालिस हजार) रू0 अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अर्न्तगत एत्त द्वारा.................................. प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.03 18:20:23 +05:30
Location: 192.168.1.3

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)